

**प्रारूप-1**  
**प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्क्रूटनी, संबंधी प्रोफार्मा**  
**(चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु)**

**भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्य प्रदेश चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022 तथा संशोधन नियम 10 मई 2023 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 राज्य के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों एवं दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

**मैं आवंटन के अनुक्रम में प्रवेश हेतु मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।**

- 1/ **NEET PG (MD/MS) 2023/NEET (MDS) 2023** परीक्षा का रोल नंबर .....
  - 2/ आल इण्डिया मेरिट सूची क्रमांक .....
  - 3/ पूरा नाम: .....
  - 4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता .....
  - 5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/.....  
अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) ।
  - 6/ प्रवर्ग- दिव्यांग : .....
  - 7- कोटा- ओपन/अनिवासी भारतीय कोटा (NRI)/सेवारत
  - 8/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी. ....
  - 9/ अभ्यर्थी का बैंक खाता नं..... आई.एफ.एस.सी. कोड नं.....
- जो अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दर्ज किया गया है।

**मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें**

1. चयन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के पंजीयन की फोटो युक्त प्रति अथवा प्रवेश पत्र।
2. आयु प्रमाण के लिये सकेण्डरी, हॉयर सेकेण्डरी, 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/अंक सूची की मूल प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो।
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof.) की अंक सूची । भारतवर्ष से अन्यत्र अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की दशा में नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन से स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
4. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट की मूल प्रति अथवा वर्ष 2023 में इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
5. मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल/ मध्य प्रदेश डेंटल काउंसिल में जीवित पंजीयन के प्रमाण पत्र अथवा पंजीयन हेतु आवेदन की पावती।
6. अभ्यर्थी की फोटो आई0डी0 प्रूफ ड्राईविंग लाईसेंस/आधार/वोटर कार्ड/ पेन कार्ड/ पासपोर्ट की फोटो कॉपी।

7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये जारी किया गया प्रमाण पत्र।
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र
10. वर्तमान वर्ष का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र ( अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों के क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)।
11. दिव्यांग प्रवर्ग हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं केन्द्र सरकार के विनिर्दिष्ट दिव्यांगता केन्द्र से जारी किया गया दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ।
12. अनिवासी भारतीय कोटे से सीट आवंटित होने की दशा में प्रोफार्मा 3,4,5 के अनुसार दिया जाने वाला शपथपत्र ।
13. सीट लिविंग बॉण्ड प्रोफार्मा-2।
14. ग्रामीण सेवा बंध पत्र प्रोफार्मा-2 ।
15. मध्य प्रदेश के अन्यत्र किसी राज्य से मूल निवासी (स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र) का लाभ प्राप्त नहीं करने संबंधी शपथ पत्र एवं किसी अन्य राज्य से मूल निवासी का लाभ नहीं लिये जाने संबंधी शपथपत्र प्रोफार्मा-6।
16. स्टार्डिपेंड एवं अनुशासन संबंधी वचन पत्र प्रोफार्मा-7 ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता